राजभाषा एकक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर

विषय - राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तैरहवीं बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तैरहवीं बैठक दिनांक 28 जून 2016 को अपराह्न 16.00 बजे बोर्ड कक्ष, तोषाली भवन परिसर में संस्थान निदेशक प्रो. आर. वी राज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे–

1. प्रो. सुजीत रॉय, संकायाध्यक्ष (संकाय एवं नियोजन)
2. डॉ. आर.के.सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा एकक
3. डॉ. डी. गुणसेकरण, कुलसचिव
4. डॉ. राजन झा, सहायक प्राध्यापक, एसबीएस
5. डॉ. गौतम मंडल, सहायक प्राध्यापक, एसआईएफ
6. डॉ. बिभूति भूषण साहू, उप पुस्तकालयाध्यक्ष
7. श्री मानस कुमार बेहेरा, सहायक कुलसचिव (शै.एवं. आर.एवं.डी)
8. श्री पी.के. साहू, सहायक कुलसचिव (भं. एवं. क्र.)
9. श्री नितिन जैन, कनि. हिंदी अनुवादक एवं सदस्य सचिव (राकास)

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची की मदों पर बिंदुवार चर्चा प्रारम्भ की।

मद सं. 12.0 **गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि** – दिनांक 10.03.2016 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पुष्टि प्रदान की।

मद सं. 12.1 **गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई**- अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों को गत बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई से संबंधित निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :-

i) **हिंदी पत्राचार की स्थिति**: समिति के सदस्यों को यह जानकारी दी गई कि आवरण पत्र सभी कर्मचारियों को मेल कर दिए गये थे और इसके अधिक प्रयोग पर बल देने हेतु अनुरोध किया। दिनांक 23-24 जून 2016 को संस्थान के कर्मचारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला में भी इसके प्रयोग हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे।

ii) **धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज़ों का द्विभाषी रूप में प्रकाशनः** समिति के सदस्यों को यह जानकारी दी गई कि मंत्रालय से प्राप्त पत्र को सभी कर्मचारियों को ई-मेल कर दिया गया है और धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करने हेतु प्रयास करने को कहा गया है।

iii) **आज का विचार का प्रकाशन**: गत बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. आर.के.पंडा ने संस्थान की वेबसाइट में प्रेरित संदेशों को "आज का विचार" नामक खंड के माध्यम से प्रकाशित करने को कहा था। जिस पर आवश्यक कार्रवाई की गई है।

मद सं. 12.2. **धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दत्सावेज़ों को द्विभाषी रूप में प्रकाशन** : सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों को जानकारी दी कि मंत्रालय द्वारा पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान की गई थी जिसमें धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज़ों का शत प्रतिशत द्विभाषी रूप में प्रकाशित न करने पर आपत्ति जताई गई थी।

इस संबंध में डॉ. राज कुमार सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा एकक ने जानकारी दी कि नियमों के अनुपालन के लिए धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज़ों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करना अनिवार्य है। संस्थान द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए नीति तैयार की गई है परंतु अभी भी समाचार पत्रों में विज्ञापन द्विभाषी रूप में प्रकाशित नहीं किए जा रहे है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया।

कार्रवाई – कुलसचिव/ राजभाषा एकक/ सभी संबंधित अनुभाग

मद सं. 12.3 **कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना** : सदस्य-सचिव ने समिति के सदस्यों के समक्ष राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु योजना प्रस्तुत की। इस संबंध में डॉ. सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा एकक ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि हिंदी पखवाड़ा के दौरान राजभाषा एकक द्वारा संस्थान के कर्मचारियों के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्य दबाव के कारण अनेक कर्मचारी भाग नहीं ले पाते है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रतियोगिता में कर्मचारियों को प्रतियोगिता में पुरस्कृत करने के बजाय उन्हें कार्यालयीन कामकाज हिंदी में अधिक करने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए आदेश जारी किए जाए और इस योजना पर भविष्य में विचार करने हेतु प्रस्तुत करने का कहा।

कार्रवाई – कुलसचिव/ राजभाषा एकक

मद सं. 12.4 **हिंदी में पत्राचार की स्थिति** – : डॉ. राज कुमार सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा ने समिति के सदस्यों को जानकारी दी कि संस्थान के हिंदी पत्राचार का प्रतिशत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार अभी भी बहुत कम है जिसके कारण मंत्रालय से निरंतर पत्र प्राप्त होते रहते हैं। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि भर्ती संबंधी, क्रय संबंधी जो भी पत्र संस्थान के बाहर प्रेषित किए जा रहे है उन्हें द्विभाषी रूप में तैयार किया जाए और प्रत्येक माह ऐसे कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकें।

कार्रवाई – कुलसचिव/ राजभाषा एकक

मद सं. 12.5 **राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु जाँच बिंदु**:- समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि संस्थान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के निम्न जाँच बिंदुओं का आदेश के रूप में जारी कर सभी अनुभागों में प्रेषित किया जा सकता है –

जाँच बिंदु	जिम्मेदारी
राजभाषा अधिनियम 1963 3(3)* का अनुपालन– निर्धारित कागजातों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किया जाना।	इन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाली अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें इसे द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है या नहीं।
मूल पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य के पत्राचार को हिंदी में करना।	संस्थान के सभी अनुभाग/विद्यापीठ
राजभाषा नियम 1976 (5) का अनुपालन – हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में दिया जाना।	संस्थान के सभी अनुभाग/विद्यापीठ
फाइलों रजिस्टरों के शीर्षकों को द्विभाषी रूप में लिखा जाना।	सभी कार्यालय प्रमुख इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और कर्मचारियों को निर्देश दें।
संस्थान द्वारा जारी किए जा रहे सभी विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाना।	सहायक कुलसचिव (भंडार एवं क्रय)/ राजभाषा एकक
हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों से हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहित करना।	सभी संबंधित अनुभाग प्रमुख अपने अनुभाग के प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें।
भर्ती की प्रक्रिया में भेजे वाले प्रवेश पत्रों, नियुक्ति पत्रों, आवेदनों को द्विभाषी रूप में तैयार करना।	कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव (स्था.) इसके द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करें।
संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रत्येक तिमाही हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना	राजभाषा एकक

संस्थान में प्रयोग होने वाले नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, विजिटिंग कार्ड, बैनर, फाइल, रजिस्टर, बैनर, इत्यादि – द्विभाषी होना।	सहायक कुलसचिव (भंडार एवं क्रय)/ संबंधित अनुभाग/ राजभाषा एकक
प्रत्येक वर्ष हिंदी की पुस्तकों का क्रय करना।	अध्यक्ष, केंद्रीय पुस्तकालय/ राजभाषा एकक
हिंदी कंप्यूटर में द्विभाषी सुविधा की उपलब्धता।	सीआईटीएससी, अध्यक्ष एवं सहायक कुलसचिव (भं. एवं क्र.) कंप्यूटर खरीदने समय इन बातों के प्रयोग को सुनिश्चित करें।
सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियाँ – द्विभाषी/ हिंदी में होना।	सहायक कुलसचिव (स्था.). सुनिश्चित करें कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः हिंदी में की जाए।
कार्यालयीन प्रयोग के सभी फार्मों को द्विभाषी रूप में तैयार करना	कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सभी सहायक कुलसचिव
तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण	कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सभी सहायक कुलसचिव सुनिश्चित करें कि तिमाही रिपोर्ट सभी अनुभागों द्वारा यथासमय भेजी जाए।
अरगुल परिसर में सभी साईन बोर्ड, नामपट्ट द्विभाषी	अभियांत्रिकी अनुभाग/ अधीक्षण अभियंता/ संबंधित विद्यापीठ

किसी भी प्रकार की सहायता के लिए राजभाषा एकक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने उक्त जाँच बिंदुओं को जारी करने हेतु आदेश दिया। **कार्रवाई – कुलसचिव/ राजभाषा एकक**

मद सं. 12.6 **हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति**:- समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि इस सत्र में हिंदी शिक्षण योजना के प्रत्येक पाठ्यक्रम में संस्थान के 05-05 कर्मचारियों को प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत हेतु नामांकित किया गया था। संस्थान के कुल 14 कर्मचारियों ने प्राज्ञ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए आदेश दिए जाए। **कार्रवाई – कुलसचिव/ राजभाषा एकक**

मद सं. 12.7 **नराकास के अधीन प्रतियोगिता/कार्यशाला का आयोजन** :- समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई है कि संस्थान निदेशक प्रो. आर.वी. राज कुमार, नराकास के अध्यक्ष है और इनके मार्गदर्शन में अभी नराकास की वेबसाइट को लोकार्पण किया गया था। आई.आई.एम.टी के सहयोग से पाँच दिवसीय अनुवादक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नराकास का सचिवालय होने के साथ हम भी एक कार्यालय के रूप में और नराकास के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने एक योजना तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया। **कार्रवाई – कुलसचिव/ राजभाषा एकक**

मद सं. 12.8 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई मद** :- इस मद के अधीन सदस्यों के कोई विचार प्राप्त नहीं हुए।

डॉ. राज कुमार सिहं, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

गुणशेखरण

कुलसचिव